(186)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1111–चार/99 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.5.99 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 297/बी–129/96–97

1. विन्द्रावन तनय श्री कमतू अहीर
2. कमतू तनय श्री छंगा अहीर

निवासीगण ग्राम धबाड़ तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म.प्र.) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. दुन्ना तनय टिर्रा चमार
2. बंदी तनय छंगा उर्फ बोटा (मृत) द्वारा उत्तराधिकारीगण

अ) छक्की तनय वन्दी यादव (मृत) वारिसान

i) प्यारी बाई बेवा छक्की यादव

ii) प्रकाश पुत्र छक्की यादव

iii) प्रमोद पुत्र छक्की यादव

निवासीगण ग्राम धवाड तहसील राजनगर जिला छतरपुर

iv) महिला राधा पुत्री छक्की पत्नी संतू

निवासी ग्राम मरवा तहसील राजनगर जिला छतरपुर

ब) कल्लू तनय बन्दी यादव (मृत) वारिसान

i) महिला मथ्थी पत्नी कल्लू

ii) मुलायम पुत्र कल्लू

निवासीगण ग्राम धवाड तहसील राजनगर जिला छतरपुर

iii) राजकुमारी वयस्क पुत्री कल्लू

iv) देवका अवयस्क पुत्री कल्लू

v) चन्दा अवयस्क पुत्री कल्लू

vi) सूरज अवयस्क पुत्री कल्लू

vii) रोशनी अवयस्क पुत्री कल्लू

सरपरस्त मां स्वयं मथ्थी बेवा कल्लू

समस्त निवासीगण ग्राम धवाड तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

स) महिला बच्ची पुत्री बन्दी पत्नी मन्नू यादव

निवासी ग्राम शिवराजपुर तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी अधिक्ता, आवेदक

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता, अनावेदक 1

आदेश

(आज दिनांक 24–06–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 297/बी–129/96–97 में पारित आदेश दिनांक 31.5.99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हे।

2– यह कि, अनावेदक कं. 1 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 113 के अधीन आवेदन किया कि विवादित भूमि ख.नं. 288 रकवा 4.913 हे. एवं 291/3 रकवा 1.157 हे. कुल किता 2 कुल रकवा 15 एकड़ भूमि अनावेदक कं. 1 दुन्ना अहिरवार के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जो राजस्व अभिलेख में उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व परदर्ज थी जिस पर आवेदक का नाम अंकित हो गया है इस लिपिकीय त्रुटि कोदुरूस्त किया जाये। इसी आशय का आवेदन अनावेदक कं. 2 बंदी ने अपनी भूमि ख.नं. 293 के विषय में दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्र.कं. 01/बी–129/93–94 दर्ज कर आदेश दिनांक 17.5.1995 द्वारा लिपिकीय त्रुटि सुधार कर अनावेदक कं. 1 दुन्ना का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश के विरूद्ध

आवेदकगण ने अपील न करते हुये दिनांक 7.7.95 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकन हेतु आवेदन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कलेक्टर महोदय के समक्ष पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु भेजा जिसमें आदेश दिनांक 17.10.95 द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान कर दी। अनावेदक ने कलेक्टर द्वारा दी गई पुनरावलोकन की अनुमति दिनांक 17.10.05 के विरूद्ध निगरानी अधीनस्थ न्यायलय अपर आयुक्त सागर के समक्ष पेश की गई जो विवादित आदेश दिनांक 31.05.99 द्वारा स्वीकार की गई एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.95 निरस्त किया गया।

इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। मानीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 22.5.01 द्वारा आवेदकगण की निगरानी स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक दुन्ना ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका कं. 3462/01 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 19.6.2012 द्वारा स्वीकार कर माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 22.5.2001 निरस्त कर पुनः इस न्यायालय को सुनवाई हेतु निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में पुनः दिनांक 4.9.2012 को मूल निगरानी प्र.कं. 1111–चार/99 सुनवाई में लेकर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मंगाये जाकर तर्क सुने गये।

3– मैने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी। आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस निगरानी में उल्लिखित आधारों पर केन्द्रित करते हुये मुख्यतः यह तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है क्योंकि पुनरावलोकन की अनुमति दिये जाने के पूर्व पक्षकारों को सुने जाने का संहिता की धारा–51 में कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होने यह तर्क भी दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक कं. 1 का नाम नामांतरण पंजी के आदेश के तहत दर्ज किया गया और उसका हवाला राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया और जब आवेदक का नाम विधि संगत रूप से दर्ज हुआ तब उसे लिपिकीय त्रुटि नहीं कहा जा सकता। इसे भी पुनरावलोकन की अनुमति का प्रमुख आधार मानकर कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है उसे न मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

उन्होने यह तर्क भी दिया कि संहिता की धारा 113 के तहत किसी भी कानून के तहत उसका नाम राजस्व न्यायालय को हटाने का अधिकार नहीं है। इस बिंदु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान न देकर वैधानिक त्रुटि की है। इस प्रकार उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4– अनावेदक कं. 1 की ओर से लिखित बहस में यह तर्क दिये गये हैं कि कलेक्टर ने पुनरावलोकन की अनुमति अनावेदकों को बिना सुने दी है जबकि बिना सूचना और सुनवाई का अवसर प्रदान किए अनुमति नहीं दी जा सकती थीं। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने कलेक्टर का आदेश अपास्त किया है जो उचित है। इस संबंध में उन्होने 1997 आर.एन. 189, 1991 आर.एन. 184 एवं 1987 आर.एन. 34 के न्याय दृष्टांत उद्धरित किये।

उन्होने यह तर्क भी दिया कि दोषपूर्ण विधि अथवा विधि की अशुद्ध व्याख्या, विधि या तथ्य के बिन्दु पर गलत निर्णय पुनरावलोकन का आधार नहीं है इस कारण भी कलेक्टर का पुनरावलोकन की अनुमति देने संबंधी आदेश अवैध है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होने 1997 आर.एन. 189, 1995 आर.एन. 109, तथा 1980 आर.एन. 201 का हवाला दिया। 1994 आर.एन. 337 एवं 1992 आर.ए. 247 का हवाला देते हुये उन्होने यह तर्क भी दिया कि जो आपत्तियां

उठाई गई हो और उनका विनिश्चयन किया जा चुका हो तब उन्हीं आधारों पर रिव्यू की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उन्होने यह तर्क भी दिया कि एस.डी.ओ. का आदेश अपीलीय आदेश था। आवेदकगण अपील कर सकते थे। अपील करने हेतु एस.डी.ओ. ने स्थगन आदेश भी आवेदक को दिया था ऐसी स्थिति में एस.डी.ओ. द्वारा दी गई पुनरावलोकन की अनुशंसा एवं उस पर कलेक्टर द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति दिया जाना न्याय संगत एवं वैधानिक नहीं है इस संबंध में उन्होने 1986 आर.एन. 150 का संदर्भ दिया।

उन्होने यह तर्क भी दिया कि आवेदक के अधिवक्ता ने गुणदोष पर तर्क दिये हैं जबकि किसी भी न्यायालय ने गुण दोष पर आदेश नहीं दिया है अभी एक मात्र बिन्दु यह है कि अनावेदकों को सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा पुनरावलोकन का कोई आधार न होने से पुनरावलोकन की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश गुणदोष पर ना हो तब गुण दोष पर विनिश्चयन नहीं किया जा सकता जैसा कि 1979 आर.एन. 521 में व्यवस्था दी गई है।

उनका यह भी तर्क है कि नामांतरण से कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता अपितु स्वत्व के आधार पर नामांतरण किया जा सकताहै। 15–00 एकड़ (पन्द्रह एकड़) भूमि को तथाकथित 98/– रूपये के अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर अनावेदकों को बिना सूचना दिये तथाकथित नामांतरण किया गया है जो अवैध है। 15 एकड़ भूमि 98/– रूपये में कय विकय करना स्वयं में हास्यास्पद है और ऐसे विकय के आधार पर कोई स्वत्व अर्जित नहीं होते और न ही नामांतरण किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होने 1991 आर.एन. 131 (उच्च न्यायालय) एवं 202 का संदर्भ दिया।

उन्होने यह तर्क भी दिया कि संहिता की धारा 113 के अधीन लिपिकीय त्रुटि सुधार की अधिकारिता एस.डी.ओ. को है और इस संबंध में आवेदक का यह तर्क कि एस.डी.ओ. का आदेश अधिकारिता रहित है, व्यर्थ है।

उन्होने यह तर्क भी दिया कि आवेदक ने माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 22.05.01 के पालन में राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया था जबकि माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 22.5.2001 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने रिट याचिका कं. 3462/01 में पारित आदेश दिनांक 19.6.2012 द्वारा निरस्तहो गया था ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज कराई गई अवैध प्रविष्टि के आधार पर माननीय न्यायालय में लंबित पुनरीक्षण दौरान वादग्रस्त रकवा 15 एकड़ में से अंश रकवा का आवेदक द्वारा किये गये विकय पत्र अवैध होने से शून्य घोषित करते हुये निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया।

5– मैने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क बिन्दुओं पर मनन किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवायी का पूर्ण अवसर देने एवं साक्ष्य आदि लेने के बाद दिनांक 17.5.95 को आदेश पारित किया था। इस आदेश के बाद आवेदकगण विन्द्रावन आदि ने अपील प्रस्तुत न कर संहिता की धारा 51 के तहत दिनांक 7.7.95 को ही आदेश पत्रिका पर अपनी टीप लिखकर कलेक्टर से पुनर्विलेकन की अनुमति मांगी। जिस पर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनाक 17.10.95 द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति दी गयी। इस सारी कार्यवाही में न तो अनुविभागीय अधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार को उपस्थित होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना दी और न ही कलेक्टर ने अनुमति का आदेश देने के पूर्व हितबद्ध पक्षकार को सुनवायी का अवसर दिया। इस

प्रकार यह तथ्य तो निर्विवाद है कि अनावेदकगण को पुनरावलोकन की किसी भी कार्यवाही में न तो सूचना पत्र ही दिया और न ही सुना गया। धारा--51 परन्तुक (एक--क) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या उल्टा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गयी हो। इस संबंध में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों से भी में पूर्णतः सहमत हूँ तथा आवेदकगण अधिवक्ता का यह तर्क अमान्य किया जाता है कि पुनरावलोकन की अनुमति देने के पूर्व विपक्षी पार्टी को सुनना आवश्यक नहीं है। आवेदकगण की ओर से यह भी कहा गया है कि नामांतरण पंजी की नकल अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण विचारण के दौरान अंतिम आदेश के पूर्व तक प्राप्त नहीं हुयी। प्रमाणित नामांतरण पंजी 4.7.95 को मिल सकी। प्रमाणित पंजी की नकल प्राप्त होना या न होना ऐसा आधार या विधिक त्रुटि नहीं है जिससे पुनरावलोकन का आधार बनता हो। अनावेदक अधिवक्ता का यह तर्क मान्य कियाजाता है कि 15 एकड़ भूमि को तथाकथित 98/-- रूपये के अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर अनावेदकों को बिना सूचना दिये तथाकथित नामांतरण किया भी गया हो तब वह अवैध है क्योंकि 15 एकड़ भूमि 98/-- रूपये में कय-विकय करना स्वयं में हास्यास्पद है और यदि ऐसे तथाकथित विकय पत्र के आधार पर आवेदकगण का नामांतरण भी हो गया हो तब उसे उक्त तथाकथित विकय पत्र के आधार पर कोई स्वत्व अर्जित नहीं होते और न ही नामांतरण किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.5.99 स्थिर रखा जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदकगण के हक में नामांतरण आदेश के अमल को राजस्व अभिलेख में से यदि काटा गया हो एवं आवेदकगण अथवा अन्य किसी का नाम बिना किसी स्वत्व अधिकार के दर्ज किया गया हो तब उक्त प्रविष्टियों को काटा जाकर अनावेदकगण दुन्ना आदि के नाम वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि तदनुसार अनावेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर